झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–73 / 2020

सुनिल कुमार सिन्हा .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री शैलेश कुमार सिंह, अधिवक्ता।

राज्य के लिए: ए0पी0पी0।

आदेश संख्या 03 दिनांक 18वीं जनवरी, 2020

याचिकाकर्त्ता की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान ए0पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्ता जोरापोखर थाना काण्ड संख्या 135 / 2018 के संबंध में एक अभियुक्त है।

अमेरिका की एक कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर, याचिकाकर्त्ता ने सूचक से 4,57,000 / – रूपये लिया। न तो पैसा लौटाया गया न ही सूचक को नौकरी दी गई।

यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता दिनांक 20.09.2019 से अभिरक्षा में है। यद्यपि याचिकाकर्त्ता कहते हैं कि कम्पनी के विभिन्न एजेंटो को पैसा दी गई है परन्तु प्राथमिकी से यह प्रतीत होता है कि नौकरी देने के नाम पर सूचक से बड़ी रकम ली गई।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्त्ता के द्वारा बड़ी रकम प्राप्त की गई है, याचिकाकर्त्ता को 10,000/– (दस हजार) रूपये के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, धनबाद के संतुष्टि पर, जोरापोखर थाना काण्ड संख्या 135/2018 के संदर्भ में जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया जाता है, बशर्ते कि वह डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा 2.25 लाख रूपये जमानत के पूर्व शर्त के रूप में जमा करेंगे। यदि याचिकाकर्त्ता उपरोक्त शर्तों का पालन करता है, तो सूचक निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल कर उक्त राशि को आहरित कर सकते हैं। यद्यपि जमा किये गये उक्त राशि, पक्षों के अधिकार पर बिना पक्षपात के होगा।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)